न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा राजस्व वाद 96/2022

वादीगण :– केवलराम, नगाराम, लाभूराम पि0 शंकरराम
जाति दर्जी निवासी लाखाणियों की ढाणी हाल प्रतापगढ़ तहसील सेतरावा
जिला जोधपुर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

<u>दावा बाबत् रेकर्ड दुरस्ती</u>

उपस्थित :– 1. वादीगण स्वंय
2. तहसीलदार, पचपदरा

दिनांक :– 22.06.2022

निर्णय

वादीगण की और से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के फॉलो–अप शिविर बड़नावा में प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का सरहद मौजा लाखाणियों की ढाणी तहसील पचपदरा के खाता 41 रकबा 246 बीघा 06 बिस्वा, खाता 55 रकबा 298 बीघा 06 विस्वा, मौजा कालाथल तहसील पचपदरा के खाता 4 रकबा 48 बीघा, भूमि एवं कब्जा काश्त कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता स्वर्गीय शंकरराम की फौतगी का नामान्तरकरण भरते समय वादीगण के भाई लाभूराम का नाम हपाराम भूलवंश एवं लिपिकीय त्रुटि से घरेलु बोलचाल वाला नाम हपाराम दर्ज हो गया, किन्तु वादी का सही व वास्तविक नाम लाभूराम है, राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपूर्ण नाम दर्ज होने से मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। वादी के अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र वादी के बच्चों के स्कूल इत्यादी में वादी का सही नाम लाभूराम दर्ज है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में घरेलू नाम हपाराम दर्ज होने से वादी को भारी असुविधा उत्पन्न हो रही है। उक्त खातेदारी भूमि के के उपयोग उपभोग ऋण या सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वादी अनपढ़ काश्तकार है, वादीगण के पिता का नाम भी शंकर दर्ज है जबकि सही नाम शंकरराम है। जिसका प[illegible] [illegible] करने चलने पर तहसीलदार, पचपदरा से वादी का नाम गलत [illegible] वादी का सही नाम राजस्व [illegible] हिदायत देने पर घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया। [illegible] की भूमि का सरकारी उपयोग जैसे दर्ज नहीं होने से वादी अपनी कब्जा सुदा काश्त की भूमि का सरकारी उपयोग जैसे केसीसी ऋण इत्यादी का उपयोग नहीं कर पा रहा है । जिससे वादीगण को उक्त रेकर्ड दुरस्ती करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:17:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण 1 की और से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। वादी का सही नाम लाभूराम पुत्र भोमाराम एवं वादीगण के पिता का नाम शंकरराम दुरूस्ती करने पर सहमति प्रकट की गयी। इसमें उन्हे कोई ऐतराज नहीं है।

हमनें वादीगण एवं राजकीय पेरोकार सरकार की बहस को सुना व पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेंजात की छाया प्रति आधार कार्ड,एवं वादी के पहचान के दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया । जिसमें वादी का सही व शुद्व नाम लाभूराम पुत्र शंकरराम है। राजस्व रेकर्ड में हपाराम पुत्र शंकरराम गलत नाम दर्ज है, तथा वादीगण के पिता का नाम भी शंकर दर्ज है जबकि सही नाम शंकरराम है। वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार तहसीलदार, पचपदरा की गयी विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर वादी का दावा स्वीकार करने एवं डिक्री करने योग्य होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है सरहद मौजा लाखाणियों की ढाणी तहसील पचपदरा के खाता 41 रकबा 246 बीघा 06 विस्वा, खाता 55 रकबा 298 बीघा 06 विस्वा, मौजा कालाथल तहसील पचपदरा के खाता 4 रकबा 48 बीघा, में वादी का हपाराम पुत्र शंकर गलत नाम के स्थान पर सही नाम लाभूराम पुत्र शंकरराम तथा वादीगण के पिता का नाम शंकर के स्थान पर शंकरराम का अमलदरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो ।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO)
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:17:06 IST
Reason: SelfAttested